उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 1542/XXX (2)/2005
देहरादून, 06 जून, 2005

## अधिसूचना

## प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

### उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ–
   (1) यह नियमावली "उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005 कहलायेगी।
   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 7 का प्रतिस्थापन–

उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, निम्नलिखित स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

| स्तम्भ–1 | स्तम्भ–2 |
|---|---|
| वर्तमान नियम | एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
| भर्ती का स्रोत–7–सेवा में किसी पद पर, भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी। | भर्ती का स्रोत–7–सेवा में किसी पद पर, भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी :<br>परन्तु यह कि भर्ती वर्ष 2004–05 में समूह 'घ' के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कार्मिकों में से, जिनकी सेवा अवधि 03 वर्ष से अन्यून है और जो नियम 11 में विहित प्राविधिक तथा शैक्षिक अर्हता रखते हों, रिक्तियों की संख्या तक, सीधी भर्ती के पदों के विरुद्ध नियुक्ति की जायेगी। |

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।